

# सुप्रीम कोर्ट का फैसला : सेवन बंडर पार्क को एक माह में हटाने के आदेश

सरकार और जिला प्रशासन को अनुपालना रिपोर्ट एक माह में पेश करने के आदेश दिये

अजमेर, (कासं)। अजमेर के आनासागर भ्रमर क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में हुए अवैध निर्माण को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध निर्माणों पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार और जिला प्रशासन को एक माह में सेवन बंडर पार्क को हटाने और इसकी अनुपालन रिपोर्ट एक माह में पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले में अब आगामी सुनवाई 16 मई को होगी। कोर्ट ने जिला प्रशासन द्वारा तबीजी और फॉयसागर वेटलैंड्स को लेकर पेश किए गए हलफनामे पर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल धुयान की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की, जबकि याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने खुद अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि सेवन बंडर पार्क को हटाने का कार्य 30 दिनों में पूरा किया जाए। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि इस पार्क को हटाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और 15 से 30 दिनों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पिछली सुनवाई में सरकार ने ध्वस्तीकरण और स्थानांतरण के लिए 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे एक माह के भीतर पूरा करने का आदेश दिया है।

**विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा** :- कोर्ट ने सरकार से तबीजी और फॉयसागर ग्रीन क्षेत्र को लेकर विस्तृत

**सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि इस पार्क को हटाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी गई है और 15 से 30 दिनों में यह कार्य पूरा कर लिया**

रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सरकार को इन वेटलैंड्स पर समुचित योजना तैयार कर अदालत के समक्ष पेश करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि रिपोर्ट में नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं का विश्लेषण शामिल होना

चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं की रिपोर्ट अगले 15 दिनों में तैयार की जाएगी। सरकार ने पहले ही तबीजी और फॉयसागर वेटलैंड्स विकसित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ठोस योजना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार रिपोर्ट मांगी है।

**झीला परिधि में बने पाथवे पर भी उठे सवाल** :- सुप्रीम कोर्ट ने आनासागर झील के किनारे बने पाथवे को लेकर भी सवाल उठाए। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में बताया कि यह पानी झील की परिधि पर बना हुआ है और यदि इसे हटा दिया गया तो झील की तलहटी और वेटलैंड क्षेत्र में अवैध

अतिक्रमण की संभावना बढ़ सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक वेटलैंड्स की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिलती, तब तक इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।

**जिला प्रशासन ने पेश किया हलफनामा** :- गौरतलब है कि जिला प्रशासन ने इस मामले में 31 पेज का अतिरिक्त हलफनामा पेश किया था। इसके जवाब में याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने 38 पेज का काउंटर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। 17 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फूडकोर्ट को ध्वस्त करने और दुर्गम क्षेत्र में वेटलैंड विकसित करने की योजना पेश करने का निर्देश दिया था। अब सरकार को विस्तृत रिपोर्ट 16 मई को पेश करने है।

## जिम ट्रेनर ने युवती से दुष्कर्म किया

बीकानेर, (निर्सं)। एक फिटनेस जिम में युवती के अश्लील फोटो और वीडियो बनाने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने और उसे ब्लैकमेल कर 23.60 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। पुलिस जिम ट्रेनर और उसके दोस्त के खिलाफ जांच कर रही है।

एक युवती जो कि फिटनेस सेंटर जाता करती करती थी। आरोप है कि जिम के ट्रेनर रणवीरसिंह और उसके दोस्त लक्की उर्फ लोकेश ने टॉयलेट में युवती की अश्लील फोटो और वीडियो बना ली। सोशल मीडिया पर बायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगे और रणवीर ने युवती का बार-बार देह शोषण किया। युवती को डरा-धमकाकर उसे 23.60 लाख रुपए भी हड़प लिए।

**युवती को ब्लैकमेल कर 23.60 लाख हड़पे, मामला दर्ज**

लक्की के इस काम में रणवीर का सहयोग करता रहा। रणवीर ने युवती को ब्लैकमेल कर हड़पे रुपयों से कार भी खरीद ली। पुलिस ने मामला दर्ज किया है जिसकी जांच एसएचओ सुरेन्द्र पंचार कर रहे हैं।

पीडिता की ओर से पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि साल भर पहले वह जिम जाती थी। जहां रणवीर और उसका दोस्त लक्की उस पर बुरी नजर रखते थे। रणवीर एक्ससाइज ट्रेनिंग के नाम पर उसके शरीर से छेड़छाड़ करता था। दोनों आरोपियों ने जिम के टॉयलेट में

अपने मोबाइल सेट कर उसके अश्लील फोटो लिए और वीडियो बना लिया। उसके बाद बायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगे। रणवीर उसे एरोबिक्स हॉल में ले जाकर दुष्कर्म करता और लक्की बाहर निगरानी करता। अश्लील वीडियो बनाता था। दोनों धमकाकर रुपए मांगने लगे। डर के कारण वह घर में पिता और भाई के रुपए चोरी कर दोनों आरोपियों को देने लगी। उससे 23.60 लाख रुपए हड़प लिए। करीब 2.50 लाख रुपए ऑनलाइन दिए। रणवीर ने 26 नवंबर, 2024 को दो लाख रुपए लिए। आखिरकार परेशान होकर पीडिता ने अपने परिजनों को बताया और पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।

श्रीदुर्गागढ़ के रहने वाले राकेश कुमार मेघवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि श्रीदुर्गागढ़ के लोडेरा गांव की रोड़ी में उसकी पत्नी मनीज कुमारी (26) की डिग्री में दूबने से मौत हो गई। राकेश का कहना है कि खेत में काश करते समय पत्नी डिग्री का बुस्टर चालू करने गई थी। इस दौरान पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। एसआई राजकुमार को जांच सौंपी गई

## डिग्री में गिरने से दो महिलाओं की मौत

बीकानेर, (निर्सं)। खेतों में नवी डिग्रीयों मौत का कारण बनती जा रही है। दो महिलाओं की मौत पिछले 24 घंटों में हो चुकी है। दोनों पैर फिसलने से डिग्री में गिरी थीं। पुलिस ने दोनों की मर्ग दर्ज कर पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा।

श्रीदुर्गागढ़ के रहने वाले राकेश कुमार मेघवाल ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में बताया कि श्रीदुर्गागढ़ के लोडेरा गांव की रोड़ी में उसकी पत्नी मनीज कुमारी (26) की डिग्री में दूबने से मौत हो गई। राकेश का कहना है कि खेत में काश करते समय पत्नी डिग्री का बुस्टर चालू करने गई थी। इस दौरान पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। एसआई राजकुमार को जांच सौंपी गई

है। उधर पूवाल में भी एक महिला की डिग्री में गिरने से मौत हो गई। चार केडब्ल्यूएम कुम्हारवाला निवासी जसवंत सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन हजवा कुमारी डिग्री के पास खड़ी थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वो डिग्री में गिर गई। इससे उसकी मौत हो गई। उसका शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस मामले में भी पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। बज्जू थाना क्षेत्र में एक युवक की बाइक से गिरने से हो गई। जौ सिंह पुत्र आशु सिंह पांच अप्रैल को रात एक बजे बाइक पर जा रहा था। रास्ते में बाइक से गिरने पर घायल हो गया। उसे तुरंत पीबीएम हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

## जालोर जिला कारागृह में दो बंदी भिड़े, एक घायल

जालोर, (कासं)। जालोर जिला कारागृह में गत रविवार को किसी बात को लेकर दो बंदी आपस में भिड़ गये। दोनों बंदियों के बीच मारपीट में एक बंदी घायल हो गया। मारपीट की घटना के बाद घायल बंदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसे जान का खतरा बताया।

जालोर जिला कारागृह में अत्यवस्थाओं के चलते कई शिकायत आती रहती है। जिला कारागृह में लापरवाही के चलते दो बंदी जेल में ही आपस में मारपीट करने लगे। मारपीट के बाद जेल में अफरातफरी का माहौल बन गया। हत्या के मामले में बंद जबरसिंह निवासी शंखवाली पिछले

**घटना के बाद घायल बंदी के परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया**

करीब एक साल से जिला कारागृह जालोर में बंद है। वहीं आलासन निवासी सुरेश मेघवाल पिछले करीब सात माह से बंद है।

रविवार सुबह करीब ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे किसी बात को लेकर जबरसिंह व सुरेश के बीच बहसबाजी होने लगी तथा बहसबाजी हाथापाई तक

पहुंच गई। सुरेश के जबरसिंह को धक्का देने से उसके दीवार के टकराने से उसके चोट लग गई। वहीं जिला कारागृह में मारपीट के घटना की सूचना पर जेल प्रशासन ने पहुंचकर मामले को शांत करवाया।

जबरसिंह के मारपीट में चोट आने पर जेल प्रशासन ने इलाज के लिए जेल में नियुक्त डॉक्टरों की टीम को बुलाया, लेकिन घायल बंदी ने जेल में इलाज करने से मना करते हुए बाहर इलाज करवाने की मांग की। मारपीट की सूचना पर जबरसिंह के परिजन भी जिला कारागृह पहुंच गये तथा उन्होंने मारपीट की घटना पर रोष प्रकट करते हुए जेल प्रशासन की लापरवाही

बताया। उन्होंने जबरसिंह को जान का खतरा बताया। सोमवार को सुरेश द्वारा जबरसिंह के खिलाफ मारपीट कर अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति धारा में मामला दर्ज करवाने की सूचना मिल रही है। बंदियों की मारपीट के बाद जेल में बंद भी सहमे गये।

जिला कारागृह जालोर की जेल उपाधीक्षक सम्पति बामणिया ने बताया कि सुरेश व जबरसिंह दोनों को अलग-अलग बैरक में ही रखा गया था। कल पानी को लेकर दोनों के बीच बहसबाजी हुई थी। मामले को शांत करवा दिया गया है। यथा जबरसिंह की मांग पर उसका इलाज राजकीय चिकित्सालय जालोर में करवाया गया है।

## अज्ञात कारणों के चलते युवक

### ने आत्महत्या की

टोंका पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के माणक चोक पांच मन्दिर क्षेत्र में निवास कर रहे विकास जांगिड पुत्र प्रेमचन्द्र जांगिड उम्र 35 साल ने अज्ञात कारणों के चलते सोमवार सुबह अपने कमरे में लटक रहे पंखे से लटक अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल सआदत चिकित्सालय टोंक की मोर्चरी में रखवाया। जहां मामले में अनुसंधान जारी है।

## कुठानियां के देई माई मंदिर ट्रस्ट की

### सम्पत्ति के गबन का आरोप

खेतड़ी, (निर्सं)। कुठानियां देई माई ट्रस्ट के सचिव ने ट्रस्ट अध्यक्ष व उसके बेटे के खिलाफ जान से मारने की धमकी, ट्रस्ट के रूपरे पर चांदी के छत्र व अन्य चल सम्पत्तियों का गबन करने का मामला दर्ज करवाया है।

थानाधिकारी रामसिंह यादव ने बताया कि देई माई ट्रस्ट के सचिव मानोता जाटान निवासी लक्ष्मण सिंह राजपूत ने ट्रस्ट के अध्यक्ष सुमेरसिंह भाटी व उसके बेटे जिनेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दी कि वह मंदिर श्री देई माई कुठानियां प्रत्यास का सचिव है। उक्त मंदिर का पूरा कार्य प्रत्यास द्वारा किया जा रहा है तथा मंदिर में भक्तगणों द्वारा नित्य प्रति चढ़ावा व अन्य चल सम्पत्तियां भेंट स्वरूप चढ़ाई जाती है। मंदिर में नित्य प्रति भक्तों की काफी भीड़ रहती है, जिससे अच्छा चढ़ावा आता है।

मंदिर में आने भक्तों की भीड़ व चढ़ावा को देखते हुए प्रत्यास के सदस्यों द्वारा मंदिर परिसर में बने भंडार गृह का निरीक्षण किया गया तो प्रत्यास सदस्यों को चढ़ावे व अन्य सामग्री में कमी पाई गई। जिसके प्रत्यक्ष प्रत्यास के सदस्यों द्वारा मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया तो प्रत्यास के सदस्यों की जानकारी में यह तथा अन्य कि मंदिर में आने वाले चढ़ावे जैसे नकद राशि, चांदी के छत्र व अन्य चल सम्पत्तियों को प्रत्यास के

**कुठानियां देई माई ट्रस्ट के सचिव ने ट्रस्ट अध्यक्ष और उसके बेटे पर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया**

**पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की**

पूर्व अध्यक्ष सुमेर सिंह भाटी व उनके पुत्र जिनेश कुमार द्वारा आपस में मिलीभगत करके गबन किया जा रहा है। 15 मार्च 2025 को ट्रस्ट के सभी प्रत्यासियों द्वारा उक्त सुमेर सिंह भाटी व उसके पुत्र जिनेश कुमार द्वारा मंदिर में आने वाले चढ़ावे, नकद धनराशि व चांदी के छत्र व अन्य चल सम्पत्तियों को अपने साथ ले गए। उक्त लोगों ने षडयंत्र पूर्वक मंदिर में चढ़ावा के रूप में आने वाली नकद राशि, चांदी के छत्र व अन्य चल सम्पत्तियों का गबन कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इससे पूर्व सुमेर सिंह की ओर से भी कोषाध्यक्ष व अन्य के खिलाफ मारपीट करने व गबन करने का मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज मामले की गहनता से जांच कर की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से

प्रस्ताव पारित करते हुए 20 मार्च 2025 को सुमेर सिंह भाटी को प्रत्यास के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।

अध्यक्ष पद से हटाने के बाद भी सुमेर सिंह भाटी व उसका पुत्र जिनेश कुमार जबरन मंदिर परिसर में नित्य आते जाते हैं तथा मंदिर चढ़ावा व चल सम्पत्तियों को जबरन अपने साथ चोरी छिपे ले जाते हैं। विरोध करने पर उक्त लोग द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है।

25 मार्च को दोपहर करीब 1 बजे सभी प्रत्यासियों व कर्मचारियों की उपस्थिति व सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में मंदिर परिसर में बने सुमेर सिंह भाटी के उक्त कमरे का निरीक्षण किया तो पाया गया कि सुमेर सिंह भाटी व उसके पुत्र जिनेश कुमार द्वारा मंदिर में आने वाले चढ़ावे, नकद धनराशि व चांदी के छत्र व अन्य चल सम्पत्तियों को अपने साथ ले गए। उक्त लोगों ने षडयंत्र पूर्वक मंदिर में चढ़ावा के रूप में आने वाली नकद राशि, चांदी के छत्र व अन्य चल सम्पत्तियों का गबन कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इससे पूर्व सुमेर सिंह की ओर से भी कोषाध्यक्ष व अन्य के खिलाफ मारपीट करने व गबन करने का मामला दर्ज करवाया गया था। पुलिस दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज मामले की गहनता से जांच कर की बैठक बुलाकर सर्वसम्मति से

## ठगों ने किसान के पैन कार्ड से फर्जी कंपनी बनाई, 143 करोड़ का लेन-देन किया

पीडित किसान को मामले की जानकारी आयकर विभाग से मिले नोटिस के बाद पता चली

अजमेर, (कासं)। अजमेर के सरवाड़ में किसान के साथ सायबर ठगी का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने किसान के पैन कार्ड से फर्जीबादा कर कंपनी बनाई और 143 करोड़ रुपए का लेनदेन किया। पीडित किसान को इसकी जानकारी आयकर विभाग से मिले नोटिस के बाद पता चली। पीडित किसान सोमवार को न्याय की गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंचा, जहां उसने एसपी वंदिता राणा को ज्ञापन सौंप कर न्याय की गुहार लगाते हुए शातिर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार अजमेर जिले के सरवाड़ निवासी रामराज चौधरी ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी

**पीडित किसान न्याय की गुहार लगाने एसपी ऑफिस पहुंचा, शातिर ठगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की**

**पैन कार्ड से नीतिया एक्जिम नाम से तिथी वर्ष 2020-21 में कंपनी खोली गई, जिसका कोटक महिंद्र बैंक में खाता भी खोला गया था**

वंदिता राणा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। एसपी को सौंपे ज्ञापन में पीडित किसान रामराज ने बताया कि उसे 3 अप्रैल को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला, जिसमें उसे जानकारी हुई कि उसके पैनकार्ड का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की गई है। पैनकार्ड से नीतिया एक्जिम नाम से वित्तीय वर्ष 2020-21 में कंपनी खोली गई, जिसमें कोटक महिंद्र

बैंक में खाता भी खोला गया जिसकी उसे जानकारी नहीं है और न ही उसने महिंद्र बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया है। पीडित किसान रामराज ने बताया कि वह कभी मुंबई भी नहीं गया और उसके नाम से कोई फर्म नहीं बनाई है। वह सिर्फ 12 वॉस किसान है। इस फर्जीबादे की जानकारी उसे नोटिस मिलने के बाद मिली थी। जब वह आयकर विभाग

पहुंचा और आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी कि उसका कोई

लेनदेन नहीं है और न ही उसने कोई खाता और और न ही उसने कोई कंपनी खोली है।

143 करोड़ रुपए का ट्रांसजेक्शन :- पीडित किसान रामराज ने बताया कि उसके पैनकार्ड से दुरुपयोग कर फर्जी कंपनी बनाकर 143 करोड़ रुपए का ट्रांसजेक्शन किया गया। इतनी बड़ी राशि लेनदेन उसके लिए संभव है। इस फर्जीबादे के कारण परेशान है, जब वह इसकी शिकायत देने संबंधित थाने और सायबर थाने पहुंचा तो उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रामराज ने कहा कि सोमवार को अजमेर एसपी वंदिता राणा को शिकायत पत्र देकर शातिर लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

## हिस्ट्रीशीटर सहित दो गिरफ्तार

खेतड़ी, (निर्सं)। पचेरी कलां पुलिस ने शराब ठेका बंद करवाने के लिए आम रास्ता बंद करने के मामले में दो जनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

थानाधिकारी राजपाल सिंह यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली की ग्राम सोहली से दुलोटी की तरफ जाने वाले रास्ते पर कुछ लोग शराब के ठेके को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो ग्राम सोहली से दुलोटी जाने वाले रास्ते पर 7-8 व्यक्ति बैठे थे जिनसे जानकारी की गयी तो बताया कि ग्राम सोहली में शराब ठेका बन्द होना चाहिए नहीं यह रास्ता बन्द कर दिया जाएगा।

इस दौरान पुलिस द्वारा समझाइश करने पर कुछ व्यक्ति तो मान गए, लेकिन हिस्ट्रीशीटर अनजुर्न उर्फ पप्पू पुत्र भगवानसिंह नहीं माने। उन्हें समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह रास्ता खोलने की बजाय पुलिस से उलझने लगे। इस दौरान पुलिस ने शांति व्यवस्था कायम रखने लिए एचएस अनुज ऊर्फ पप्पू व महेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया।

**BIKANER TECHNICAL UNIVERSITY**  
Karni Industrial Area, Pugal Road, Bikaner-334004  
Ref. No. : F34/BU/Store/Vehicle\_hire-00139 Date : 05/04/2025

**Notice Inviting Bid**

Bikaner Technical University invites following bids:

Sr. No.	Particulars	Estimated Cost	NIB No.	UBN No.	Last Date & Time
1.	Data Processing Work	110.00 Lacs	BTU2526 A0001	BTU2526 SLOB00001	25.04.2025 up to 5.00 pm.
2.	Hiring of Vehicles as and when Required	17.70 Lacs	BTU2526 A0002	BTU2526 SLOB00002	15.04.2025 up to 5.00 pm.

Others particulars of the bids can be found on the procurement portal <https://eproc.rajjasthan.gov.in>, [www.sppp.rajjasthan.gov.in](http://www.sppp.rajjasthan.gov.in) of the state and Bikaner Technical University website [www.btu.ac.in](http://www.btu.ac.in).

Raj.Samwad/C/25/334 Registrar

**कार्यालय नगर परिषद बारां**  
E-Mail : nagarpalikabaran@gmail.com रजिस्ट्रार, बारां (राज.) Phone : 07453-230106  
क्रमांक :- न.प.बा./रजि./2025/109 दिनांक :- 04.04.2025

**निविदा सूचना संख्या : 01/2025-26**

नगर परिषद बारां द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु इस कार्यालय के टेन्डर व्यवस्था / अस्थावी लाईट डेकोरेशन / इमर्जेंसी जनरेटर लाईट सॉलर / 15 अप्रैल 26 जनवरी अत्याहार व्यवस्था / कम्प्यूटर ऑपरेटर सफाई / लाईट के समान सफाई / स्टेशनरी प्रिन्टिंग और फ्लेक्स प्रिन्टिंग / माईक साउण्ड व्यवस्था / LED WALL और माईक व्यवस्था / सव्यस्तिल मोटर फैनल स्प्रिंग कार्य मोटर लोडिंग अलतोरिंग कार्य / साप्राई के सामान कब / कारना हाउस भूसा कब / सभी रोड साईट रिपेयर कार्य वगैर ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। संवेदक निविदा से सम्बंधित नियम / शर्त वेब पॉर्टल [www.sppp.rajjasthan.gov.in](http://www.sppp.rajjasthan.gov.in) पर भी देख सकते हैं। निविदाएं <http://eproc.rajjasthan.gov.in> के माध्यम से प्राप्त की जावेंगी। अनुमानित लागत 10 लाख से 30 लाख तक।

1. DLB2526SLOB00447	2. DLB2526SLOB00448
3. DLB2526WSOB00451	4. DLB2526SLOB00453
5. DLB2526SLOB00454	6. DLB2526SLOB00455
7. DLB2526GLOB00456	8. DLB2526WSOB00459
9. DLB2526WSOB00460	10. DLB2526WSOB00462
11. DLB2526WSOB00463	12. DLB2526SLOB00465
13. DLB2526SLOB00467	

आयुक्त नगर परिषद बारां